

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

9.10.20

GCMs
2017/00166

आज यह पत्रावली जर्पी द्वारा जारीये वकील शर्पिता-पत्र
जुस्त बले पर पेशी में ली गयी। जर्पी द्वारा शर्पिता-पत्र
जुस्त कर एक स्थान को आगे बढ़वाना नहीं पाएगा
ना ही कार्यवाही पाएगा है का निवेदन किया तथा स्थान
बिना बले का निवेदन किया।

अतः जर्पी का शर्पिता पत्र स्वीकार किया गया
पूर्व में दिनांक 27.12.2017 को जारी अध्यादेश निवेदनाका
निरस्त हो जाकर शर्पिता-पत्र इसी स्तर पर जारी
किया जाता है। पत्रावली नंबर के कर होकर इतिवज
इफ्तार है।

आदेश लेते इजलाह हुतापागदा।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सुरतगढ़ (राज०)

प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 212

अ वि

उलगाव

genuinely
man

